8-12-17 पत्रावली पेश है। दलील प्रार्थी एवं पैरोकार अनुसार उपस्थित
दलील प्रार्थी के बहस करनी चाही। दलील प्रार्थी की बहस
सुनी गयी। बहस के दौरान दलील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की
केहिल तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र को
स्वीकार किये जाने की प्रस्तुति की।
जबकि दलील विपक्षी की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया,
तथा न ही उपस्थित ही हुये। बहस करना पैरोकार के अतिरिक्त
कोई भी प्रस्तुत नहीं किया।
मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा एक तरफा बहस पर
मनन किया गया। विवादित आराजियात ग्राम दीवा परगना
दतका दीवा तहसील व जिला भीलवाड़ा में होकर राजचन्द
रहमतलाल बिश्नोई आदि 5 के नाम दर्ज है जिसकी
तारीख प्रस्तुत जमाबंदी की नकल सम्वत 2071 से 2074 की
होती है। इंतकाल नम्बर 1567 दिनांक 17-11-11 के द्वारा विक्रय
के रामलाल S/o रहमतलाल बिश्नोई के नाम दर्ज करने की
स्वीकृति हुई। जिसकी तारीख प्रस्तुत इंतकाल नम्बर 1567
की फोटो प्रति के होती है। रामलाल S/o रहमतलाल बिश्नोई
द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा विवादित आराजियात
खरीद की। जिसकी तारीख प्रस्तुत विक्रय पत्र की फोटो प्रति
के होती है। प्रस्तुत दस्तावेजों व प्रार्थना पत्र में केहिलात
के द्वारा विवादित आराजियात प्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड
विक्रय पत्र के द्वारा खरीद की गयी। खरीद के बाद विवादित
आराजियात प्रार्थी के नाम दर्ज नहीं होकर रामलाल के
बजाय राजचन्द S/o रहमतलाल बिश्नोई दर्ज कर दिया गया
जबकि प्रार्थी ने विवादित आराजियात दिनांक 20-8-2011 को
खरीद की। तथा विक्रय के आधार पर इंतकाल रामलाल
S/o रहमतलाल बिश्नोई के नाम खोला गया। जिसकी तारीख
प्रस्तुत इंतकाल नम्बर 1567 दिनांक 17-11-11 के होती है।

किन्तु राजस्व रेकर्ड में इस दर्शाए कब्जे कब्जा कहकर के मामलाम के बजाय मामला 50 रु मात्र किश्तों में कर दिया गया जिसे इन्तकाल कराना चाहता है जो धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की तारीख से नहीं कराया है। अपने राजस्व रेकर्ड में नाम संशोधन कराना चाहता है। जो इसे मामलाम अधिकारी द्वारा प्राप्त कर रहा है।

अधिनियम के तहत दीवानी प्राप्त कर रहा है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को किन्हे कारणों से बेकाबू रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 L.R.Act के तहत खारीज किया जाता प्रार्थित कार्यवाही है। अतः

:: आदेश ::

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 L.R.Act को किन्हे कारणों से बेकाबू रहने के कारण खारीज किया जाता है पत्रावली बेकाबू प्रमाण की जरूरत खारीज हो।

उपखण्ड अधिकारी
बीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner